पारित आदेश को निरस्त किया गया है। इस आदेश के विरूद्ध में माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी.डब्लू.जे.सी. नं0 4288/1995 बमबम पंडा एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य दायर किया। इस अपील वाद को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.07.1995 को अस्वीकृत कर दिया गया।

पुनः अंचल अधिकारी द्वारा नया अतिक्रमण वाद 19/2007–08 अपीलकर्त्ता के विरूद्ध दायर करते हुए उन्हें अतिक्रमित भूमि से उच्छेदित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका के न्यायालय में रे0मि0 अपील वाद सं0 01/2007–08 दायर किया गया। इस अपील वाद में भी निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपील आवेदन को अस्वीकृत किया गया, जो न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने बहस के दौरान कहा कि ½ धूर जमींन पर उनका दूकान 1946 से चल रहा है। इस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा चुका है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी द्वारा पारित उच्छेदी आदेश को अपर उपायुक्त, दुमका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के सी.डब्लू.जे.सी. नं0 5498/93 आदेश दिनांक 30.07.1993 के आलोक में दिनांक 18.06.1994 को निरस्त किया गया एवं इस आदेश के विरूद्ध में दायर अपील वाद सं0 सी.डब्लू.जे.सी. वाद सं0 4288/95 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.1995 को निरस्त किया गया। पुनः अंचल अधिकारी द्वारा अपीलकर्त्ता के विरूद्ध अतिक्रमण वाद 19/2007–08 प्रारंभ कर उन्हें प्रश्नगत जमींन से उच्छेदित किया गया एवं इस आदेश के विरूद्ध में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका के द्वारा भी बरकरार रखा गया जो न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। चुँकि इस संबंध में अपर उपायुक्त द्वारा आदेश पारित किया जा चुका है एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इस आदेश के विरूद्ध दायर अपील को अस्वीकृत किया जा चुका है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है तथा अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

<u>उपायुक्त का न्यायालय, दुमका</u>

रे0मि0 अपील वाद सं0 08/2012–13

उमा राव ....अपीलकर्त्ता

बनाम

16/– रैयत, बासुकिनाथ ....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

27/05/2016

यह रे0मि0 अपील वाद सं0 08/2012–13 उमा राव बनाम् 16/– रैयत, मौजा बासुकिनाथ, अंचल जरमुंडी के बीच भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दुमका के रे0मि0 अपील वाद सं0 01/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 17.04.2012 के विरुद्ध दायर किया गया है।

मैने अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में उपलबध्र कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा बासुकिनाथ के दाग सं0 596 रकवा 2½ धूर जमींन सर्वे खतियान में परती कदीम बोलकर दर्ज है जिसमें अपीलकर्त्ता को हण्डवा इस्टेट के द्वारा अमलनामा पट्टा के आधार पर 02 धूर जमींन का बन्दोबस्ती वर्ष 1946 में मिला हैजिसका लागन धार्य कर पंजी ।। में बसौड़ी जमाबन्दी सं0 42 दर्ज किया गया है। किन्तु जमींनदार द्वारा मौखिक आदेश मिलने के कारण उन्होंने सम्पूर्ण 2½ धूर जमींन पर मकान का निर्माण कर मिठाई का दूकान चला रहा है। अंचल अधिकारी द्वारा इस अतिक्रमण के विरूद्ध अतिक्रमण वाद सं0 06/1986–87 प्रारंभ किया गया एवं अपीलकर्त्ता को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिनांक 26.08. 1986/10.03.1987 द्वारा दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध में अपीलकर्त्ता द्वारा उपायुक्त के न्यायालय में अपील दायर किया गया। इस अपील वाद को अंगीकृत करने के पश्चात अपर उपायुक्त के न्यायालय में निष्पादनार्थ प्रति प्रेषित किया गया जिसे रे0मि0 अपील वाद सं0 95/1989–90 के रूप में दर्ज किया गया एवं इस अपील वाद को भी अपर उपायुक्त द्वारा दिनांक 20.04.1992 के आदेशानुसार अस्वीकृत किया गया। इस आदेश के विरूद्ध में अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिहार, पटना में अपील वाद सी.डब्लू.जे.सी. सं0 5498/93 दायर किया गया। इस अपील वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.1993 को निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए वाद को अपर उपायुक्त के न्यायालय में सभी बिन्दुओं पर नये सिरे से विचार करने हेतु प्रति प्रेषित किया गया। तत्पश्चात अपर उपायुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 18.06.1994 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बिन्दुवार विचार करते हुए अंचल अधिकारी के अतिक्रमण वाद सं0 06/1986–87 में